



Neutral Citation No - 2026:AHC:24058-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 2026 की 278

कृपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: पुनीत मिश्रा, नौशाद आलम

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पाण्डेय, जगदीश पाठक, स्थायी
अधिवक्ता

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को ग्राम बहादुर नगर, ब्लॉक ठाकुरद्वारा, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद के ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्य के सम्बन्ध में जाँच कराने हेतु निर्देशित करने की याचना के साथ दाखिल की गई है।

2. प्रस्तुत अभ्यावेदन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वह पूर्णतः सतही है और उसमें ग्राम प्रधान द्वारा अभिकथित अपयोजन से सम्बन्धित कोई विशिष्ट विवरण नहीं है।

3. ऐसे अभ्यावेदनों के आधार पर जाँच की याचना करना और उक्त प्रयोजन हेतु जनहित याचिकाएँ दाखिल करना मान्य नहीं किया जा सकता। अतः याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

4 फरवरी, 2026

आर.के./ए.के.शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"